न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 108/2024 G.C.M.S. No. 2024/447 दर्ज दिनांक : 15.10.2024

अपीलार्थी:

1. भरतकुमार पुत्र निहालचंद, जाति ओसवाल जैन जरिये अधिकृत निहालचंद पुत्र चंदनमलजी जैन निवासी देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली।
2. सुंदरबाई पत्नि फुटरमल, जाति कलाल
3. मोहनीदेवी पत्नि हिम्मतमल, जाति कलाल
4. जसाराम पुत्र कुपाजी, जाति चौधरी निवासीगण देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली।
5. मृत भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह के कायम मुकामः—
   5/1 भरत पुत्र भंवरसिंह, जाति पुरोहित
   5/2 निर्मल पुत्र भंवरसिंह, जाति पुरोहित
   5/3 ललित पुत्र भंवरसिंह, जाति पुरोहित
   5/4 गीता पत्नि भंवरसिंह, जाति पुरोहित निवासीगण सोनाणा, तहसील देसूरी
6. बींजराजसिंह पुत्र गोरधनसिंह, जाति पुरोहित
7. देवीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, जाति पुरोहित
8. भंवरसिंह पुत्र खीमसिंह, जाति पुरोहित
9. मोपसिंह पुत्र खीमसिंह, जाति पुरोहित
10. चंदनसिंह पुत्र खीमसिंह, जाति पुरोहित
11. उमराव कंवर पुत्री खीमसिंह, जाति पुरोहित
12. हिराकंवर पुत्री खीमसिंह, जाति पुरोहित, निवासीगण लांपी, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी)
2. मोहम्मद रूस्तम खां पुत्र अमीन खां, जाति मुसलमान निवासी देसूरी (प्रफोर्मा रेस्पोंडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2016 बअनवान तहसीलदार देसूरी बनाम भरतकुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.05.2017 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार—

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोंडेन्ट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 19.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 42/2016 बअनवान तहसीलदार देसूरी बनाम भरतकुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेण्ट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्टस् के विरूद्ध धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रकरण इस आधार पर पेश किया था कि ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि अपीलाण्ट्स के संयुक्त खातेदारी की आई हुई हैं। जिसका आवासीय व वास्तविक योजना बनाकर बिना रूपांतरण करवाये उपयोग कर रहे हैं। जिसकी जानकारी पटवारी व नायब तहसीलदार महोदय देसूरी द्वारा दिनांक 13.05.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर हुई है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली लोक अदालत कैम्प देसूरी में नियत कर एकपक्षीय जैर अपील आदेश पारित कर दिया। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.06.2016 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 व 6 के नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए थें, उक्त अप्रार्थीगण को पुनः नोटिस जारी ही नहीं किये गये। बिना नोटिस दिये, बिना तामिल करवाये, बिना जवाब, साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान किये पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट देसूरी में दिनांक 27.05.2017 को बिना किसी को सूचना दिये रखकर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। जबकि लोक अदालत में केवल सभी पक्षों की ओर से राजीनामा होने पर ही प्रकरण को निर्णित किये जाने के प्रावधान है। उपरोक्त प्रकरण में न तो राजीनामा हुआ था, न ही पक्षकार सहमत थें, न ही अप्रार्थीगण को सूचित किया गया था एवं न ही अप्रार्थीगण उपस्थित थें। इसके साथ ही उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी पक्ष अर्थात तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण पेश किया गया था। लेकिन प्रार्थी पक्ष की तरफ से किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गई थीं। दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य पेश ही नहीं हुई थीं। अर्थात किसी भी गवाह के न तो बयान हुए, न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में दर्ज अप्रार्थीगण अर्थात अपीलाण्ट्स का उपरोक्त भूमि पर निर्माण 30 वर्षों से अधिक पुराना है। जिसकी जानकारी प्रार्थी पक्ष अर्थात रेस्पोंडेण्ट संख्या एक और उनके अधीनस्थ को हमेशा से ही रही हैं। फिर भी प्रकरण में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि प्रकरण स्पष्टतया म्याद बाहर था एवं प्रकरण में विधिनुसार निर्धारित प्रपत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

नोटिस जारी नहीं किये। धारा 177 के प्रकरण में निर्धारित प्रारूप में ही नोटिस जारी करना आवश्यक है, जो जारी ही नहीं किये गये। साथ ही नियम 62ए राज. काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 अनुसार बेदखली का आदेश केवल अकृषि उपयोग में ली गई भूमि की सीमा तक ही पारित किया जा सकता है, न कि सम्पूर्ण रकबा का। उपरोक्त जैर अपील आदेश के विरूद्ध पूर्व में अपीलाण्ट्स ने अलग–अलग रिव्यू आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये थें, जो आदेश दिनांक 11.07.2024 द्वारा खारिज किये गये, जिसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही व चाराजोही हेतु अधिवक्ताओं से मिलने पर उपरोक्त अपील करने की सलाह दी गई, जिस पर अपीलांट द्वारा उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प देसूरी में पारित आदेश दिनांक 27.05.2017 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 15.10.2024 को विलंबकाल के साथ प्रस्तुत की।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 व 12 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश अपीलांट्स की विधिवत तामील करवाए बिना, अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व जवाब का अवसर दिए बिना एकपक्षीय लोक अदालत कैम्प में पारित किया गया है। जो अवैध व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विरूद्ध है। जैर अपील आदेश की पालना में अपीलांट्स को हलका पटवारी द्वारा बेदखली की धमकी दिए जाने पर जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। जिस पर विधिक सलाह अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू आवेदन संख्या 65/2017 बींजाराज सिंह बनाम सरकार, प्रकरण संख्या 68/2017 मोपसिंह बनाम सरकार पेश की हैं। जो अधीन न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06.12.2018 द्वारा जैर अपील आदेश की पालना, प्रभाव स्थगित करते हुए सभी प्रकरण संयोजित किए गए तथा आदेश दिनांक 11.07.2024 द्वारा रिव्यू आवेदन खारिज कर दिया गया। जिस पर विधिक राय अनुसार जैर अपील आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु पत्रावली की नकल हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन दिनांक 01.10.2024 को प्रस्तुत किया, जो दिनांक 04.10.2024 को प्राप्त हुआ। अपीलांट्स कानून के जानकार नहीं हैं। अपीलांट्स द्वारा अधिवक्ता की विधिक राय अनुसार पूर्व में रिव्यू आवेदन पेश किए तत्पश्चात मूल आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की राय पर अपील पेश की गई। समस्त कार्यवाही पूर्ण तत्परता से की गई तथा जानबूझकर देरी नहीं की हैं व न ही लापरवाही की हैं। रिव्यू हेतु की गई कार्यवाही सद्भावनापूर्वक की गई हैं। इसलिए अधिवक्ता की गलती का दंड पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेकानेक निर्णयों में यह अभिधारित किया है कि किसी भी प्रकरण को म्याद बिंदु पर निर्णित कर खारिज करने से पूर्व प्रकरण का मैरिट पर परीक्षण करना आज्ञापक है तथा प्रकरण मैरिट पर ठोस व सफल योग्य हो तो म्याद इत्यादि तकनीकी बिंदुओं पर प्रकरण निर्णित व खारिज नहीं कर मैरिट पर निर्णित किया जाना चाहिए। अपीलांट्स ईमानदारीपूर्वक अपील लड़ना चाहते हैं। अतः तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.05.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तारीख पेशी दिनांक 18.06.2016 नियत की गई। दिनांक 18.06.2016 की आदेशिका अनुसार अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 6 के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए तथा अप्रार्थी संख्या 1, 4, 7 से 13 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पॉवर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा वकालतनामा पेश हुआ। पत्रावली आयंदा दिनांक 04.07.2016 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 04.07.2016 व 29.07.2016 के अंकन अनुसार एसडीओ साहब कैम्प में पधारे हुए हैं, के आधार पर पेशी इल्तवा की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.08.2016 को बिना किसी कार्यवाही के पेशी इल्तवा होकर सील ठप्पा के साथ आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.10.2016 नियत की गई तथा दिनांक 03.10.2016 के अनुसार सरकारी पैरोकार की उपस्थिति अंकित करते हुए पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.11.2016 को नियत की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.11.2016, 18.01.2017 व 08.03.2017 को न्यायिक कार्यवाही नहीं होकर सील ठप्पा के साथ पेशी इल्तवा की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.05.2017 नियत की गई। दिनांक 02.05.2017 को कोई तारीख पेशी का अंकन व न्यायिक कार्य संपादन का अंकन नहीं होकर आगामी तारीख पेशी सीधे लोक अदालत कैम्प देसूरी दिनांक 27.05.2017 को लिखी गई तथा उक्त दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व सरकारी पैरोकार की उपस्थिति अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण अपीलांट्स की तामील करवाए बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट्स को सूचित किए बिना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना तथा तारीख पेशी नियत किए जाने तथा पत्रावली लोक अदालत कैम्प में दिनांक 27.05.2017 को नियत किए जाने की सूचना तामील करवाए बिना तथा पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा व सहमति निष्पादित किए जाने के अभाव के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जोकि प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पारित न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। यह सही है कि प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता की विधिक राय अनुसार रिव्यू की कार्यवाही की गई तथा रिव्यू आवेदन खारिज होने के पश्चात विधिक राय अनुसार मूल आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। जो दीर्घ विलंब से प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स पक्षकारान द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध नियमित रूप से विधिक राय के अनुरूप चाराजोही की जाती रही। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा लापरवाही व उदासीनता का परिचय नहीं देकर सद्भावनापूर्वक सक्रियता से न्यायिक कार्यवाही की जाती रही। साथ ही अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधिविरूद्ध तथा आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं के विरूद्ध होना तथा अपीलांट्स अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से पक्ष–पोषण का अवसर दिए बिना पीठ पीछे पारित निर्णय की श्रेणी में आता है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की यह प्रथम शर्त है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पारदर्शिता के साथ युक्तियुक्त व समुचित अवसर दिया ही जाना चाहिए तथा प्रकरण को महज तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर निर्णित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत हों।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि विलंबकाल सद्भाविक, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट संख्या 2 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तारीख पेशी दिनांक 18.06.2016 नियत की गई। दिनांक 18.06.2016 की आदेशिका अनुसार अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 6 के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए तथा अप्रार्थी संख्या 1, 4, 7 से 13 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पॉवर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा वकालतनामा पेश हुआ। पत्रावली आयंदा दिनांक 04.07.2016 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 04.07.2016 व 29.07.2016 के अंकन अनुसार एसडीओ साहब कैम्प में पधारे हुए हैं, के आधार पर पेशी इल्तवा की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

08.2016 को बिना किसी कार्यवाही के पेशी इल्तवा होकर सील ठप्पा के साथ आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.10.2016 नियत की गई तथा दिनांक 03.10.2016 के अनुसार सरकारी पैरोकार की उपस्थिति अंकित करते हुए पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.11.2016 को नियत की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.11.2016, 18.01.2017 व 08.03.2017 को न्यायिक कार्यवाही नहीं होकर सील ठप्पा के साथ पेशी इल्तवा की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.05.2017 नियत की गई। दिनांक 02.05.2017 को कोई तारीख पेशी का अंकन व न्यायिक कार्य संपादन का अंकन नहीं होकर आगामी तारीख पेशी सीधे लोक अदालत कैम्प देसूरी दिनांक 27.05.2017 को लिखी गई तथा उक्त दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व सरकारी पैरोकार की उपस्थिति अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थीगण की समुचित तामील नहीं करवाई गई हैं तथा अपीलांट्स अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना तथा प्रकरण में बहस सुने बिना एवं प्रकरण लोक अदालत में नियत किए जाने के संबंध में पक्षकारान को नोटिस तामील व सूचित किए बिना पत्रावली लोक अदालत में नियत कर पक्षकारान द्वारा राजीनामा/सहमति निष्पादन व उपस्थिति का अभाव होने के बावजूद लोक अदालत कैम्प में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है:–

177 (3) – इस धारा के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिए जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि जो नोटिस में उल्लिखित की जाये के अंदर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाये, कारण बताने का आदेश देगा।

177 (4) – यदि वह नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर उपस्थित होता है और बेदखल किए जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय, यथोचित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने पर, उस आवेदनपत्र को वादपत्र समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार कि एक वाद में।

स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपर्युक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन किए बिना तथा इनके उल्लंघन में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

8. अधिनियम की धारा 178 (1) में यह प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा आसामी की समस्त भूमि क्षेत्र से या उसके किसी भाग से जैसी भी परिस्थिति हों, बेदखली का आदेश दे सकेगा। अर्थात यह स्पष्ट है कि प्रकरण साबित होने पर न्यायालय द्वारा संपूर्ण भू–भाग से बेदखली के स्थान पर वास्तव में क्षति कारित/प्रभावित भूभाग से बेदखली का निर्देश

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

दिया जाएगा। वहीं धारा 178 (2) के अंतर्गत यह विधिक प्रावधान है कि न्यायालय डिक्री/आदेश के अनुपालना में बेदखली करने से पूर्व आसामी को तीन माह की अवधि के लिए लिखित में अनुमति देते हुए मूल स्थिति बहाल करने या क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने का अवसर देगा तथा इसके बावजूद पालना नहीं की जाती हैं तो डिक्री/आदेश का निष्पादन किया जाएगा तथा यदि आसामी द्वारा पालना कर ली जाती हैं तो ऐसी डिक्री/आदेश का निष्पादन नहीं किया जाएगा। हस्तगत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया तथा खातेदारान को विधिसम्मत अवसर उपलब्ध नहीं करवाया गया।

9. इसी प्रकार राजस्थान (भू–राजस्व) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम 2007 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि काश्तकार द्वारा मौके पर कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाए किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में काश्तकार खातेदार के आवेदन पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य रूप से संपरिवर्तन के लिए देय शुल्क के अतिरिक्त चार गुणा शास्ती वसूल कर प्रकरण का उक्त विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियमन करते हुए संपरिवर्तन आदेश पारित किया जाएगा। अर्थात काश्तकार को शुल्क व चार गुणा शास्ती के साथ संपरिवर्तन करवाने का कूननी विकल्प भी प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना तथा अप्रार्थीगण की विधिवत तामील करवाए बिना व जवाब व प्रतिरक्षा का अवसर दिए बिना तथा धारा 178 (2) एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त वैकल्पिक प्रावधानों का अवसर दिए बिना पारित अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से एवं अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन के आधार पर अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं, अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 42/2016 बअनवान तहसीलदार देसूरी बनाम भरतकुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.05.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को जवाब व प्रतिरक्षा का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 (3), (4), 178 (2) एवं राजस्थान (भू–राजस्व) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ नियम 2007 के नियम 13 में विहित विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तथा अप्रार्थीगण खातेदारान को उक्त संगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **19.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner